दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि:06.02.2024

उदघोषित तिथि:12.02.2024

रि.या.(सि.)7429/2018, सि.वि.आ. 28420/2018, सि.वि.आ.3773/2023 और सि.वि.आ.45730/2023

संजय सिंह यादव .....याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

इस मामले में पेश हुए अधिवक्तागण;

याचिकार्ता के लिए : अधिवक्तागण सुश्री पूजा धर और श्री प्रतुल प्रताप सिंह

प्रत्यर्थीगण के लिए: प्र-1 के लिए अधिवक्तागण श्री दिग्विजय राय, श्रीमती चेतना राय, श्री अर्चित मिश्रा और श्री यतींदर चौधरी प्र-2/भारत संघ के लिए अधिवाक्तागण सुश्री अंजना गोसाई और श्री निप्पुन शर्मा।

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री तुषार राव गेडेला

निर्णय

न्या. तुषार राव गेदेला,

1. यह भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित राहतों की मांग की गई हैः-

> *"(क) यह उद्घोषित करें कि कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए 25% विभागीय परीक्षा आरक्षण के तहत शारीरिक माप और सहनशक्ति परीक्षण के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थीगण का अस्वीकार मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत प्रत्याभूत याचिकाकर्ता के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।*
>
> *(ख) कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए 25% विभागीय परीक्षा आरक्षण के तहत शारीरिक माप और सहनशक्ति परीक्षण के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थीगण को आदेश देने के लिए परमादेश या कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करें;*
>
> *(ग) शारीरिक माप और सहनशक्ति परीक्षण के परिणाम के अधीन 25% विभागीय परीक्षा आरक्षण के तहत कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद पर याचिकाकर्ता को नियुक्त करने के लिए प्रत्यर्थीगण को आदेश देने वाला परमादेश या कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करें।*
>
> *(घ) प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा याचिकाकर्ता को भेजे गए दिनांक 27.6.2018, 4.7.2018 और 12.7.2018 के ईमेल को अवैध, मनमाना घोषित करते हुए उत्प्रेषण रिट या कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश जारी करें और उसे अमान्य घोषित करें;*
>
> *(ङ) ऐसे अन्य या आगे के आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय उचित समझे।"*

2. याचिका से निकाले गए तथ्य सभी अनावश्यक विवरणों से कटे हुए और विवाद का फैसला करने के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:-

(i) 2002 में, याचिकाकर्ता सहायक अग्निशमन सेवा के पद पर प्रत्यर्थी-भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में शामिल हुआ।

(ii) याचिकाकर्ता को दिनांक 11.12.2016 को नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, कतर राज्य में अग्निशमन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए नौकरी का प्रस्ताव मिला और दिनांक 19.04.2017 को एक संशोधित प्रस्ताव मिला। यह आईसीएओ द्वारा मान्यता प्राप्त एक सरकारी संगठन था और याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी से विधिवत अनुमति लेने के बाद इसके लिए आवेदन किया था। इसके बाद, दिनांक 01.05.2017 पर याचिकाकर्ता ने उपरोक्त नियुक्ति का हवाला देते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया और पद से मुक्त होने की मांग की और प्रत्यर्थी/एएआई से धारणाधिकार देने का अनुरोध किया।

(iii) प्रबंधक, एचआर, उत्तरी क्षेत्र ने दिनांक 29.05.2017 पर याचिकाकर्ता के धारणाधिकार को बनाए रखने के लिए सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के लिए कार्यकारी निदेशक, एचआर को पत्र लिखा।

(iv) दिनांक 29.06.2017 पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 25 प्रतिशत विभागीय परीक्षा आरक्षण के तहत कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन

सेवा) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए। याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के अनुसार अपना आवेदन दायर किया।

(v) दिनांक 31.07.2017 पर याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी विमानपत्तन प्राधिकरण को पत्र भेजकर तीन साल की अवधि के लिए 'धारणाधिकार' देने की मांग की।

(vi) दिनांक 23.08.2017 पर प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को तीन साल के लिए 'धारणाधिकार' देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की प्राथमिक मंजूरी से अवगत कराया।

(vii) इसके अलावा दिनांक 13.11.2017 को प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के तकनीकी त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिया और उसे दिनांक 02.11.2017 को ड्यूटी से मुक्त कर दिया। इस्तीफे को स्वीकार करने वाले पत्र में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता 3 साल की अवधि के लिए धारणाधिकार पर रहेगा जो दिनांक 02.11.2017 से आरम्भ होगा।

(viii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मानव संसाधन विभाग ने दिनांक 11.01.2018 को 25% विभागीय परीक्षा आरक्षण के तहत कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी की। यह सूची दिनांक

29.06.2017 के विज्ञापन के अनुसार जारी की गई थी। याचिकाकर्ता का नाम पात्र उम्मीदवारों की सूची के क्रम संख्या 1 पर था।

(ix) याचिकाकर्ता दिनांक 29.06.2017 के विज्ञापन के अनुसार 26.03.2018 को आयोजित विभागीय परीक्षा में उपस्थित हुआ।

(x) दिनांक 24.05.2018 को, नियुक्ति प्रकोष्ठ, मानव संसाधन विकास निदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए विभागीय परीक्षा के परिणाम घोषित किए। परिचालित रिक्तियों की सं. 6 बताई गई थी और याचिकाकर्ता को शारीरिक मापन और सहनशक्ति परीक्षण के लिए अस्थायी रूप से चुना गया था।

(xi) दिनांक 27.06.2018 को, नियुक्ति प्रकोष्ठ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को ई-मेल के माध्यम से कहा कि विभागीय आरक्षण के तहत कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेवाओं से इस्तीफा दे दिया था और वह वर्तमान में इसके पेयरोल पर नहीं था।

(xii) दिनांक 27.06.2018 को ही याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी-भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मानव संसाधन प्रकोष्ठ को ई-मेल के माध्यम से

अनुरोध पत्र भेजा जिसमें संबंधित अधिकारियों को एक प्रति दी गई ताकि शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण में उस पर विचार किया जा सके जो दिनांक 12.07.2018 को आयोजित किया जाना था। ई-मेल में, याचिकाकर्ता ने कहा कि वह उक्त पद के लिए चुने जाने की स्थिति में अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ने को तैयार है।

(xiii) याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी-विमानपत्तन प्राधिकरण को एक और ई-मेल भेजा जिसमें उसे शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण के लिए विचार करने का अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ता यह इंगित करने के अलावा कि उसने ऑनलाइन लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त की थी और प्रत्यर्थी प्राधिकरण के साथ अपने 17 साल के कार्य अनुभव और उसकी अन्य योग्यताओं पर विचार करने का भी अनुरोध किया।

(xiv) दिनांक 04.07.2018 को, नियुक्ति प्रकोष्ठ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए दिनांक 28.06.2018 के ई-मेल का जवाब दिया जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* कहा गया था कि *"धारणाधिकार अवधि को आगामी पदोन्नति/नियोजन में वरिष्ठता के लिए नहीं माना जाएगा"*।

(xv) दिनांक 06.07.2018 को, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी प्राधिकरण को एक ई-मेल भेजा जिसमें बताया कि वह किसी भी वरिष्ठता पदोन्नति या

नियुक्ति का दावा नहीं कर रहा था, बल्कि कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में विचार करने का अनुरोध कर रहा था।

(xvi) इसके बाद, दिनांक 10.07.2018 को याचिकाकर्ता ने कार्यकारी निदेशक (एचआर) और महाप्रबंधक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से मुलाकात की और अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बताई। इसके अलावा, उसी दिन याचिकाकर्ता ने कार्यकारी निदेशक (एचआर), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अभ्यावेदन दिया जिसमें कहा गया था कि वह दो महीने के समय में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में फिर से शामिल हो सकते हैं क्योंकि वह अनुबंध के अनुसार कतर राज्य के नागरिक विमानपत्तन प्राधिकरण को 60 दिनों का नोटिस अवधि देने के लिए बाध्य थे। याचिकाकर्ता को लिखित रूप में यह देने को कहा गया कि वह शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं|

(xvii) दिनांक 12.07.2018 पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियुक्ति प्रकोष्ठ ने याचिकाकर्ता को एक ई-मेल भेजा जिसमें उसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में फिर से शामिल होने के लिए दो महीने का समय देने के उसके अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया

ताकि वह शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण के लिए उपस्थित हो सके। इसी से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

<u>याचिकाकर्ता की ओर से तर्कः-</u>

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित सुश्री पूजा धर ने प्रस्तुत किया कि यह याचिकाकर्ता का मामला है कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं. 1- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेवा में रहते हुए 25% विभागीय परीक्षा आरक्षण के तहत जूनियर कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए विभागीय परीक्षा के संबंध में प्रत्यर्थी प्राधिकारण द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 29.06.2017 के आधार पर इसके लिए दिनांक 11.07.2017 को आवेदन किया था। वह प्रस्तुत करती हैं कि यह केवल बाद में था कि याचिकाकर्ता किसी अन्य संस्थान की सेवा में शामिल हो गया था जिसके लिए तकनीकी इस्तीफा अंतराल में स्वीकार किया गया था।

4. सुश्री धर ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 18.11.2017 को तकनीकी इस्तीफा स्वीकार करने के आदेश के साथ, प्रत्यर्थी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी उक्त तिथि से तीन साल की धारणाधिकार अवधि के अनुदान पर सहमति व्यक्त की थी। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि जब याचिकाकर्ता कतर राज्य में किसी अन्य संस्थान में सेवारत था तो प्रत्यर्थी सं. 1/एएआई ने दिनांक 11.01.2018 को याचिकाकर्ता को कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए विभागीय परीक्षा में भाग लेने के लिए बुलाया था।

5. वह प्रस्तुत करती हैं कि याचिकाकर्ता दिनांक 26.03.2018 को लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ था जिसके लिए याचिकाकर्ता प्रत्यायक को सत्यापित करने के बाद प्रवेश-पत्र जारी किया गया था और इसके बाद जब उसके परिणाम दिनांक 24.05.2018 पर घोषित किए गए थे जिसके अनुसार याचिकाकर्ता उक्त परीक्षा में सभी उम्मीदवारों में पहले स्थान पर रहा, तो प्रत्यर्थी सं.1 ने विवादित ईमेलों के माध्यम से याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द कर दी। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 27.06.2018 के विवादित पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पेयरोल पर नहीं था।

6. विद्वान अधिवक्ता ने नियुक्ति और पदोन्नति दिशानिर्देशों दिनांकित 08.06.2006 को संदर्भित किया है, विशेष रूप से, विनियमन 2(ञ) को, जिसमें 'विभागीय उम्मीदवार' शब्द को परिभाषित किया गया है और प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त प्रावधान में स्पष्ट रूप से वे अधिकारी शामिल हैं जिन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है और साथ ही वे जो प्राधिकरण के किसी भी स्थायी पद पर इसके अर्थ के भीतर धारणाधिकार रखते हैं। इस पर, वह प्रस्तुत करती हैं कि याचिकाकर्ता ने तकनीकी रूप से इस्तीफा दे दिया था लेकिन फिर भी उसे एक विभागीय उम्मीदवार इस तथ्य के बदले में माना जाता था कि याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी प्राधिकरण द्वारा 3 साल की अवधि के लिए धारणाधिकार दिया गया

था। सुश्री धर का कहना है कि दिशानिर्देशों का विनियमन 2(ञ) आवश्यकता के लिए पर्याप्त है और प्रत्यर्थी के लिए 25% विभागीय परीक्षा आरक्षण के तहत कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए विभागीय परीक्षा में भाग लेने हेतु याचिकाकर्ता की पात्रता के रूप में आपत्ति उठाने के लिए कोई अवसर नहीं देता है।

7. विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सेवा की सामान्य शर्तें और कर्मचारियों का पारिश्रमिक) विनियम 2003, भी धारणाधिकार पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति को विभागीय परीक्षा में भाग लेने से नहीं रोकता है।

8. सुश्री धर ने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांक 04.10.2018 को जब प्रत्यर्थी सं. 1 ने संबंधित पद के लिए उक्त विभागीय परीक्षा के परिणाम घोषित किए तो उसने एक पद खाली रखी। हालांकि, बाद में अपनी मर्जी से पद को भर दिया और याचिकाकर्ता या न्यायालय को सूचित भी नहीं किया। बहुत बाद में दिनांक 02.02.2023 को प्रत्यर्थी सं. 1 ने जवाबी शपथ-पत्र दायर किया जिसमें बताया गया कि उक्त पद के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है। वह प्रस्तुत करती हैं कि ऐसी परिस्थितियों में यह स्थापित कानून है कि विभाग को याचिकाकर्ता के लिए अधिसंख्य पद सृजित करना चाहिए।

9. सुश्री धर 2008 ***एससीसी ऑनलाइन पट 719*** में प्रकाशित ***अश्वनी कुमार बनाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य*** मामले में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर हैं।

<u>प्रत्यर्थीगण सं.1 की ओर से दिया गया तर्क:-</u>

10. प्रत्यर्थी सं.1-भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री दिग्विजय राय ने इसके विपरीत प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित पत्र अपने उद्देश्य में स्पष्ट है जिसमें याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपना तकनीकी इस्तीफा स्वीकार करने के बाद की अवधि के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पेयरोल पर नहीं होने के कारण विभागीय उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस तरह 25% विभागीय आरक्षण के तहत कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए न तो हकदार था और न ही विभागीय परीक्षा देने के लिए पात्र था।

11. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्ति जो धारणाधिकार पर है उसे विभागीय परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयोजनों के लिए विभागीय उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जा सकता है भले ही व्यक्ति को संप्रत्यावर्तन आदि का अधिकार हो सकता है जैसा कि विनियमों में निहित है विशेषकर जो सुश्री धर द्वारा अभिलेख पर रखे गए हैं। इसके अलावा, श्री राय के अनुसार, याचिकाकर्ता

को कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए विभागीय परीक्षा के प्रयोजनों के लिए विभागीय उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

12. श्री राय ने इस न्यायालय का ध्यान याचिकाकर्ता के दिनांक 04.07.2018 के ई-मेल की ओर आकर्षित किया, जो पृष्ठ 44 पर रखा गया था जिसमें याचिकाकर्ता ने एक वचन दिया था कि यदि उसे कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए चुना जाता है तो वह कतर के सीएए राज्य के साथ नौकरी अनुबंध तोड़ देगा।

13. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि जब मामला दिनांक 23.07.2018 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था तो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देश दिया गया था कि क्या याचिकाकर्ता एक सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी/एएआई के साथ अपने पद पर शामिल होने के लिए तैयार था और मात्र इस उद्देश्य के लिए मामले को दिनांक 02.08.2018 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। श्री राय प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान रिट याचिका के लंबित होने के मद्देनजर एक पद को खाली रखा गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जब मामला दुबारा दिनांक 02.08.2018 को सूचीबद्ध किया गया था तो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि उसे अपने मुवक्किल से निर्देश नहीं मिल सके क्योंकि याचिकाकर्ता कतर में था।

14. श्री राय प्रस्तुत करते हैं कि बाद के आदेश पत्रों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने 23.07.2018 के आदेश के माध्यम से दी गई स्वतंत्रता के बावजूद, प्रासंगिक अवधि के दौरान प्रत्यर्थी प्राधिकरण में शामिल होने के लिए भारत वापस नहीं आने का विकल्प चुना।

15. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास प्रत्यर्थी सं.1/एएआई से फिर से जुड़ने के लिए संपर्क करने के लिए पर्याप्त समय था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वह प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि इस न्यायालय द्वारा एक पद को खाली रखने के लिए कोई अंतरिम निर्देश नहीं दिया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं.1/एएआई को फिर से शामिल नहीं किया था और यह भी कि रिक्त पदों को आगे लंबित नहीं रखा जा सकता था, योग्यता क्रम में अगले उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था और इसलिए पैनल को अंततः दिनांक 05.09.2019 को बंद कर दिया गया।

16. श्री राय प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 16.08.2023 के आदेश के आधार पर शपथपत्र पहले ही अभिलेख पर रखा जा चुका है कि एक रिक्ति जो तब उपलब्ध थी पहले ही दूसरे उम्मीदवार द्वारा भरी जा चुकी है और इस तरह दिनांक 05.09.2019 तक सभी पद भर दिए गए हैं और कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के लिए कोई पद खाली और उपलब्ध नहीं है।

<u>याचिकाकर्ता का प्रतिवादः-</u>

17. विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता और नागरिक विमान प्राधिकरण, कतर के बीच रोजगार अनुबंध को संदर्भित करते हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 2 को यह प्रस्तुत करने के लिए कि याचिकाकर्ता को इच्छित समाप्ति की तारीख से 60 दिन पहले की नोटिस अवधि देनी थी और यह इस कारण से था कि याचिकाकर्ता तुरंत प्रत्यर्थी सं. 1/एएआई की सेवाओं में फिर से शामिल नहीं हो सका।

18. सुश्री धर ने यह प्रस्तुत करते हुए अपनी दलीलें समाप्त कीं कि याचिकाकर्ता के प्रत्यर्थी सं. 1 की सेवा में फिर से शामिल होने के स्पष्ट इरादे थे और वह प्रत्यर्थी प्राधिकारी से ई-मेल के माध्यम से अनुरोध करके उसे विभागीय परीक्षा के चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लगन से उसका पीछा कर रहा था। यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी मामले में याचिकाकर्ता धारणाधिकार पर होने के कारण 25% विभागीय आरक्षण के तहत कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए विभागीय परीक्षा में भाग लेने के लिए विभागीय उम्मीदवार के रूप में पात्र था।

19. वह प्रार्थना करती है कि याचिका को अनुमति दी जाए और याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए शारीरिक माप और सहनशक्ति परिक्षण के लिए विचार किया जाए।

<u>विश्लेषण और निर्णयः-</u>

20. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संबोधित दलीलों को सुना है, अभिलेख पर दस्तावेजों की जांच की है और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी विचार किया है।

21. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता सुश्री पूजा धर और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दिग्विजय राय की दलीलें सुनने के बाद इस न्यायालय की राय है कि पूरा मुद्दा इस संबंध में है कि क्या याचिकाकर्ता, जिसने तकनीकी इस्तीफा दिया था व जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, वास्तव में किसी अन्य संस्थान की नियमित सेवा में रहते हुए, कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए 25% विभागीय आरक्षण के तहत विभागीय परीक्षा में उपस्थिति के लिए पात्र होने के उद्देश्य से विभागीय उम्मीदवार के रूप में विचार किया जा सकता है।

22. उपरोक्त मुद्दे के लिए सुश्री धर ने पीठ को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दिनांक 08.06.2006 के पत्र को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भर्ती और पदोन्नति) दिशानिर्देश, 2005 (इसके बाद "दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित) नामक प्रत्यार्थीगण के भर्ती और पदोन्नति विनियमों को अग्रेषित किया था। वह प्रस्तुत करती हैं कि विनियमन 2 का खंड (ञ) *"विभागीय उम्मीदवारों"* को परिभाषित करता है जिसका अर्थ उन अधिकारियों से है जिन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है और जो प्राधिकरण के किसी भी स्थायी पद पर स्थान

धारण करते हैं या धारणाधिकार रखते हैं। वह प्रस्तुत करती हैं कि यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता तीन साल के धारणाधिकार पर था जैसा कि प्रत्यर्थी ने दिनांक 18.11.2017 के पत्र के माध्यम से दिया था। वह प्रस्तुत करती हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 11.01.2018 को कनिष्ठ कार्यकारी (अग्निशमन सेवा) परीक्षा में भाग लेने के लिए भी बुलाया गया था; याचिकाकर्ता दिनांक 26.03.2018 को ऐसी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए; परिणाम दिनांक 24.05.2018 को घोषित किए गए और याचिकाकर्ता ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दिनांक 27.06.2018 के पत्र द्वारा ही प्रत्यर्थी सं. 1 ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह प्रत्यर्थी प्राधिकारी के पेयरोल में नहीं था।

23. विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 18.11.2017 के पत्र का भी उल्लेख किया था जिसके तहत याचिकाकर्ता को दिनांक 02.11.2017 से तीन साल की अवधि के लिए धारणाधिकार दिया गया था बशर्ते प्रत्यर्थी छुट्टी नकदीकरण, भविष्य निधि, पेंशन योगदान आदि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं था और याचिकाकर्ता को उसकी आगामी पदोन्नति/स्थानन में वरिष्ठता के लिए विचार नहीं किया जाएगा। वह प्रस्तुत करती हैं कि यह विनियमों के खंड 13.2 के अनुरूप है।

24. अपने उपरोक्त तर्कों के समर्थन में सुश्री धर ***अश्विनी कुमार (पूर्वोक्त)*** के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पटना में इसी

तरह की परिस्थितियों में कहा गया था कि उस मामले में याचिकाकर्ता वापस आने और उस पद पर फिर से शामिल होने का हकदार था जिसे उसने छोड़ दिया था और उसे फिर से शामिल होने पर सूची में निचे नहीं रखा जा सकता है। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को अपनी मूल वरिष्ठता बहाल करने का निर्देश दिया। वह ***भारत संघ और अन्य बनाम ई. कृष्ण राव और अन्य (2018) 18 एससीसी 107*** में प्रकाशित किए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी निर्भर हैं और प्रस्तुत करती हैं कि उपरोक्त मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने विभागीय उम्मीदवारों की परिभाषा पर विचार किया क्योंकि उसके समक्ष मामले से संबंधित नियमों में दिखाई देता है और अभिनिर्धारित किया कि उसमें प्रत्यर्थी वास्तव में विभागीय उम्मीदवार थे और बाद के सभी लाभ प्रदान किए। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि "धारणाधिकार" शब्द उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले में उपस्थित होने वाले विभागीय उम्मीदवारों की परिभाषा के साथ-साथ प्रत्यर्थी के विनियमों में भी सामान्य है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता पूरी तरह से विभागीय उम्मीदवारों की परिभाषा के अंतर्गत आता है और उसकी उम्मीदवारी को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता था कि याचिकाकर्ता संबंधित अवधि में किसी अन्य संस्थान के पेयरोल पर था।

25. प्रत्यर्थीगण के दिशानिर्देशों में विभागीय उम्मीदवारों की परिभाषा के आधार पर उपरोक्त प्रस्तुतियों के जवाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राय ने

विभागीय परीक्षा के लिए कर्मचारियों को आमंत्रित करने वाले परिपत्र पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जिसके द्वारा यह प्रस्तुत किया कि दिनांक 28.07.2017 को ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई थी। उस पर, वह प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान में याचिकाकर्ता की आयु अधिक होगी। इसके अलावा, वह प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 05.09.2023 को दायर अतिरिक्त शपथपत्र पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी की सेवा में फिर से शामिल होने और पीईटी में भाग लेने के लिए दिनांक 23.07.2018 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा दिए गए अवसर का लाभ नहीं उठाया इसलिए विभाग उक्त रिक्त पद को भरने के लिए आगे बढ़ने हेतु विवश था। वह प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 29.06.2017 के परिपत्र के संदर्भ में विभागीय परीक्षा आरक्षण के संबंध में अब ऐसी कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है। श्री राय के अनुसार, भले ही यह न्यायालय याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत हो, उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए मांगी गई कोई विवेकाधीन राहत नहीं दी जा सकती है, खासकर यह देखते हुए कि ऐसी कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है।

26. उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 23.07.2018 के आदेश के बाद प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने विभाग को ई-मेल भेजकर दिनांक 23.07.2018 के आदेश के साथ-साथ दिनांक 02.08.2018 के आदेश में दिए गए निर्देशों से अवगत कराया था।

इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता को पीईटी की अंतिम तिथि 12.08.2018 होने के बारे में पता था इसके बाद भी याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी कि सेवाओं में फिर से शामिल होने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया| श्री राय प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त आदेशों के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी प्राधिकरण को फिर से शामिल करने के लिए न तो दिनांक 09.08.2018 को और न ही दिनांक 27.09.2018 को कोई कदम उठाया गया, जब मामला इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध था| इसके बावजूद, प्रत्यर्थी ने पदों को भरने के लिए सितंबर, 2019 तक इंतजार किया क्योंकि चयन सूची तैयार होने की तारीख से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए रखी जा सकती है। ऐसा न करने पर, प्रत्यर्थी को अनावश्यक रूप से पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ता जिसमें न केवल समय बल्कि भारी सार्वजनिक धन भी खर्च होता जो उचित नहीं होगा। वह इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित करते हैं कि इस न्यायालय ने वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई थी। उस आधार पर, श्री राय प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता रिट याचिका में मांगी गई किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

27. इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में जो मुद्दा तैयार किया गया था कि क्या याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी प्राधिकारी के साथ अपने पद पर धारणाधिकार रखते हुए

किसी अन्य संस्थान में नियमित सेवा में होने के बावजूद विभागीय उम्मीदवार के रूप में माना जा सकता है से संदर्भित है तो दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि प्राधिकरण के किसी भी स्थायी पद पर धारणाधिकार रखने वाला अधिकारी विभागीय उम्मीदवार की परिभाषा के भीतर आएगा। दिशा-निर्देशों में निहित "विभागीय उम्मीदवारों" की परिभाषा निकालना उचित होगा, जो निम्नानुसार **है**:-

> ***"विभागीय उम्मीदवार"*** *का अर्थ है वे अधिकारी जो नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हैं और जो प्राधिकरण के किसी भी स्थायी पद पर स्थान धारण करते हैं या धारणाधिकार रखते हैं।"*

यह सामान्य बात है कि किसी क़ानून के शब्दों को उनकी स्पष्ट और सरल भाषा में पढ़ा जाना चाहिए। विनियम 2(ञ) में निहित परिभाषा स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि प्रत्यर्थी के किसी भी स्थायी पद पर धारणाधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति को विभागीय उम्मीदवार माना जाएगा। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। इसके विपरीत इस न्यायालय को कुछ भी नहीं दिखाया गया था और न ही अभिलेख पर रखे गए दिशानिर्देशों को रद्द करने या अध्यारोही करने वाला कोई दस्तावेज है। **इस न्यायालय के विवेक के अनुसार, दिशानिर्देशों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकर**ण (सेवा की सामान्य शर्तें और कर्मचारियों का पारिश्रमिक) विनियम, 2003 के साथ संयोजन और सामंजस्य के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जब यह ऐसे पढ़ा जाता है तो यह सुरक्षित रूप से अनुमान

लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता *"विभागीय उम्मीदवार"* की परिभाषा के भीतर आएगा। उस आधार पर दिनांक 27.06.2018 को आक्षेपित अस्वीकृति ने उम्मीदवारी को इस आधार पर रद्द कर दिया कि याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय पर प्रत्यर्थी के पेयरोल पर नहीं था इसलिए न्यायिक जांच का सामना नहीं कर सकता है और परिणामस्वरूप, इसे अलग रखा जाना है।

28. यह कहे जाने के पश्चात् इस न्यायालय के लिए वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यों में यह देखना आवश्यक है कि क्या याचिकाकर्ता मांगी गई राहत का हकदार है।

29. यह देखना उचित है कि विभागीय परीक्षा के अनुसरण में आयोजित चयन प्रक्रिया में न तो आक्षेपित आदेश पर कोई रोक थी और न ही कोई प्रतिबंध था। साथ ही, वर्तमान रिट याचिका विचाराधीन रहने के दौरान किसी भी समय याचिकाकर्ता के लिए कोई भी पद खाली रखने का इस न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था। इस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.07.2018 प्रासंगिकता प्राप्त करता है जिसे यहाँ नीचे दिया गया हैः-

> *"सूचना।*
> *प्रत्यर्थीगण के लिए अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गई सूचना।*
> *जवाबी शपथ-पत्र चार सप्ताह के भीतर दायर किया जाना चाहिए और इसका जवाब यदि कोई हो तो उसके बाद दो सप्ताह के भीतर दायर किया जाना चाहिए। अग्रिम प्रतियों की आपूर्ति विपरीत पक्ष को की जानी चाहिए।*
> *तर्कों के लिए 16 अक्टूबर, 2018 को सूचीबद्ध करें।*

इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी विभाग में शामिल होने के लिए तैयार और इच्छुक है और याचिकाकर्ता से निर्देश लेना चाहते हैं। उसे ऐसा करने दिया जाए। केवल इस सीमित उद्देश्य के लिए मामले को 2 अगस्त, 2018 को सूचीबद्ध किया जाए।"

दिनांक 02.08.2018, 09.08.2018 और 27.09.2018 के आदेशों उद्धरण भी प्रासंगिक होंगे जो नीचे दिए गए हैं:-

<u>आदेश दिनांकित 02.08.2018</u>

"याचिकाकर्ता के अनुरोध पर दिनांक 09.08.2018 पर सूचीबद्ध करें।"

<u>आदेश दिनांकित 09.08.2018</u>

"याचिकाकर्ता की ओर से स्थगन पर्ची प्रस्तुत की गई है। 27 सितंबर, 2018 को सूचीबद्ध किया जाए।"

<u>आदेश दिनांकित 27.09.2018</u>

"याचिकाकर्ता की ओर से पेश श्री आनंद दाग ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय माँगा और जो दिया गया| 19 दिसंबर, 2018 को अभिवचनों को पूरा करने के लिए निबंधक (रिट) के समक्ष सूचीबद्ध करें।"

30. उपरोक्त आदेशों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दिनांक 23.07.2018 पर प्रत्यर्थी की सेवाओं में फिर से शामिल होने का अवसर दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को केवल न्यायालय को सूचित करना था कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी के साथ कब शामिल होगा। निर्देश के बावजूद, याचिकाकर्ता ने न तो भाग लिया और न ही अपने अधिवक्ता को कोई

निर्देश दिया, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पारित बाद के आदेशों से स्पष्ट है। सुश्री धर का यह निवेदन कि चूंकि याचिकाकर्ता कतर में संस्थान के साथ अनुबंध में था और वह अनुबंध की शर्तों के अनुसार नियोक्ता को साठ दिनों की सूचना दिए बिना इसे नहीं छोड़ सकता था, इस न्यायालय को संतुष्ट नहीं करता है। यही कारण है कि दिनांक 23.07.2018 के बाद किसी भी अवसर पर याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी की सेवाओं में फिर से शामिल होने के लिए समय बढ़ाने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया और न ही इसका मौखिक उल्लेख किया जो कम से कम कहने के लिए आश्चर्यजनक है। यदि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी की सेवाओं में फिर से शामिल होने के अपने प्रयासों में ईमानदार था तो उसने अपने हितों की रक्षा के लिए उपचारात्मक कदम उठाए होंगे। अभिलेख पर कुछ भी नहीं है, न ही सुश्री धर उस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी कदम की ओर इशारा कर सकती हैं।

31. इस संदर्भ में, प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा दिनांक 05.09.2023 को दायर अतिरिक्त शपथपत्र में दिए गए कथनों पर भी विचार करना प्रासंगिक होगा। प्रासंगिक अनुच्छेद यहां दिए गए हैं: -

> *"5. मैं कहता हूं कि जब मामला माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.07.2018 पर सूचीबद्ध किया गया था तो प्रत्यर्थी सं.1 के अधिवक्ता ने विभाग को सूचित किया कि इस माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि क्या वह एक सप्ताह के भीतर एएआई में अपने पद पर शामिल होने के लिए तैयार है और केवल इसी उद्देश्य के*

लिए मामले को दिनांक 02.08.2018 के लिए स्थगित कर दिया गया है। जब मामला दिनांक 02.08.2018 पर सूचीबद्ध किया गया था तो प्रत्यर्थी सं.1 के अधिवक्ता ने एएआई को सूचित किया कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस आधार पर स्थगन की मांग की है कि वह अपने मुवक्किल से निर्देश प्राप्त नहीं कर सकीं है क्योंकि याचिकाकर्ता वर्तमान में कतर में था। दिनांक 23.07.2018 और 02.08.2018 के ई-मेल की प्रतियां इसके साथ संलग्नक हैं और अनुलग्नक-प्र-1/1 (साम.) के रूप में चिह्नित हैं।

6. मेरा कहना है कि दिनांक 23.07.2018 के आदेश के अनुसार जब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा कि क्या याचिकाकर्ता वापस आने और प्रत्यर्थी सं. 1 के संगठन में शामिल होने के लिए तैयार है, तो एक पद लंबित रखा गया था। हालांकि, आदेश पत्रों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने भारत वापस नहीं आने और संबंधित अवधि के दौरान प्रत्यर्थी संगठन में शामिल नहीं होने का फैसला किया।

7. मैं बताता हूं कि दिनांक 04.10.2018 को जेई (अग्निशमन सेवा) के लिए परीक्षा के शारीरिक माप और सहनशक्ति परीक्षण परिणाम उत्तीर्ण करने वाले 05 उम्मीदवारों के अनुक्रमांक घोषित किए गए थे और वर्तमान रिट याचिका की लंबितता को देखते हुए एक पद खाली रखा गया था।

8. मैं कहता हूं कि चूंकि इस माननीय न्यायालय द्वारा एक पद को खाली रखने के लिए कोई अंतरिम निर्देश नहीं दिया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं. 1/एएआई को फिर से शामिल नहीं किया था और आगे रिक्त पदों को खाली नहीं रखा जा सकता था इसलिए योग्यता क्रम में अगले उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था और इसलिए पैनल को दिनांक 05.09.2019 को बंद कर दिया गया था और आगे जेई (अग्निशमन सेवा) पद के लिए दिनांक 29.06.2017 के परिपत्र सं. ए12026/01/2016-नियु. प्रकोष्ठ के (भा. IV) में कोई रिक्ति नहीं है।"

उपरोक्त कथन के अलावा यह कि पैनल को दिनांक 05.09.2019 को बंद कर दिया गया था और जेई (अग्निशमन सेवा) के पद के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है जिसके साथ प्रत्यर्थी सं. 1 के लिए विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण आया कि प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के लिए प्रत्यर्थी की सेवाओं में फिर से शामिल होने के लिए अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकता था और साथ ही इस तथ्य के साथ इस न्यायालय में अपील करता है कि अंतिम चयन सूची सितंबर, 2019 के महीने में समाप्त हो गई होती| उसमें, प्रत्यर्थी से सितंबर, 2019 के महीने में अंतिम चयन पैनल के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने और पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जिसमें आगे का समय और सार्वजनिक धन की भारी मात्रा शामिल है। एक वादी, जो सुस्त है और इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का लाभ उठाने के लिए सतर्क नहीं है, उसे कोई विवेकाधीन राहत नहीं दी जा सकती है। सबसे ज्यादा तब जब याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया को बिना किसी देरी के अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने दिया।

32. इस न्यायालय का ध्यान याचिकाकर्ता और कतर में संस्था के बीच ऐसे अनुबंध की समाप्ति के लिए साठ दिनों की अधिसूचना अवधि के संबंध में निष्पादित अनुबंध के अनुच्छेद 2 की ओर आकर्षित करने के अलावा, सुश्री धर

के पास उपरोक्त तथ्यों के संबंध में कोई जवाब नहीं था जो इस न्यायालय के अभिलेख से प्राप्त होते हैं।

33. यह *"सफलता के बावजूद असफलता"* का आदर्श मामला है|

34. एक अंतिम प्रयास में, सुश्री धर प्रस्तुत करती हैं कि यह न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है जो प्रत्यर्थी को एक अतिरिक्त पद बनाने का निर्देश दे सकता है क्योंकि परिपत्र दिनांक 29.06.2017 के तहत विभागीय परीक्षा के खिलाफ कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है। यह निवेदन अस्वीकृत माना जाता है। यह इस कारण से है कि केवल असाधारण और बाध्यकारी परिस्थितियों में ही संवैधानिक न्यायालय ऐसे परमादेश जारी करने का निर्देश दे सकते हैं। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना है, विशेष रूप से, याचिकाकर्ता के आचरण को देखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। ***हिमाचल सड़क परिवहन निगम बनाम दिनेश कुमार और अन्य (1996) एससीसी 4 560*** में प्रकाशित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह न्यायालय अपने विचार में मजबूत हुआ है। उसी का प्रासंगिक अनुच्छेद यहां दिया गया है:

> *"**10**. हमारा विचार है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण ने दिनांक 27-3-1995 और 6-3-1995 के आदेश पारित करके और प्रत्यर्थीगण को तुरंत नियमित लिपिक पदों पर नियुक्त करने का निर्देश देकर अवैध रूप से और अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य किया। रिक्ति न होने की स्थिति में, निगम के पास यह शक्ति नहीं है कि वह किसी भी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त कर सकता है।*

*रिक्तियां उपलब्ध न होने पर व्यक्तियों को नियुक्त करना लोक प्राधिकरण की शक्तियों का दुरुपयोग होगा। **यदि व्यक्तियों को इस तरह से नियुक्त किया जाता है और उन्हें वेतन दिया जाता है तो यह केवल लोक धन का दुरुपयोग होगा जो पूरी तरह से अनधिकृत है।** सामान्यतः यदि अधिकरण यह पाता है कि कोई व्यक्ति निकट संबंधी नीति के अंतर्गत किसी पद पर नियुक्त किए जाने के योग्य है तो अधिकरण को संबंधित नियमों के आलोक में और पद की उपलब्धता के अध्यधीन उपयुक्त प्राधिकारी को केवल उपयुक्त आवेदक के मामले पर विचार करने का **निर्देश देना चाहिए।** अधिकरण के पास यह अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त करने का निर्देश या संबंधित प्राधिकारियों को अधिसंख्य पद सृजित करने का निर्देश दें और फिर ऐसे पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करें। हमारा विचार है कि इन दो अपीलों में प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश पूर्णतः अनधिकृत और अवैध हैं। इसलिए, हम अपील किए गए आदेशों को रद्द करने के लिए विवश हैं। हम एतद्द्वारा ऐसा करते हैं और अपील की अनुमति देते हैं। जुर्माने के लिए कोई आदेश नहीं है।*

35. मामले के उस दृष्टिकोण में, यद्यपि दिनांकित 27.06.2018, 04.07.2018 और 12.07.2018 के आक्षेपित पत्र कानून में असमर्थनीय पाए गए हैं हालांकि, तथ्यों पर, याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

36. लंबित आवेदनों के साथ याचिका का उपरोक्त शर्तों में निपटान किया जाता है जिसमें जुर्माने का कोई आदेश नहीं है।

न्या., तुषार राव गेडेला

12 फरवरी, 2024

आरएल/एन. डी.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*